

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 9

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

आयकर की वसूली

9. श्री गोपाल शेटी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कॉर्पोरेट क्षेत्र के उन घरानों/ व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन पर आज की तिथि के अनुसार, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा-कर के रूप में दस करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं;
- (ग) उन कॉर्पोरेट घरानों/व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनसे अभी वसूली की जानी शेष है, चूंकि संबंधित का मामला न्यायालय में विचाराधीन है;
- (घ) क्या उक्त मामले का गैर-न्यायिक अथवा न्यायालय से बाहर निपटान होने की कोई संभावना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): सूचना एकत्रित की जा रही है। सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

\*\*\*\*\*